भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2645

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम

2645. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "नमामि गंगे कार्यक्रम" के तहत प्रदूषण की जांच करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से 5 मुख्य स्टेम राज्यों में 97 स्थानों पर गंगा नदी के जल की गुणवत्ता के आकलन के लिए अध्ययन कर रहा है। बाह्य स्नान के लिए निर्धारित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड के लिए नदी के पानी की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है।

वर्ष 2022 (जनवरी से सितंबर) में गंगा नदी के 5 मुख्य स्टेम राज्यों में सीपीसीबी द्वारा जल गुणवत्ता मूल्यांकन के आधार पर, पाई गई जल गुणवत्ता इंगित करती है कि घुलित ऑक्सीजन का औसत मूल्य जो नदी के स्वास्थ्य का संकेतक है, निर्धारित प्राथमिक स्नान के पानी की गुणवत्ता मानदंड के स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे खंड के लिए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए संतोषजनक पाया गया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के औसत मूल्य को सीमांत अधिकता (बीओडी: 3.3 से 4.7 एमजी/एल) को छोड़कर स्थांनों/ खंडों अर्थात उत्तर प्रदेश में (i) कन्नौज यू/एस से काला कंकर, रायबरेली और डी/एस मिर्जापुर से तारिघाट, गाजीपुर (यू/एस वाराणसी, अस्सीजघाट को छोड़कर) और (ii) पश्चिम बंगाल में शीतलताला, पलटा तक फैले खंडों में स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है।

इसके अलावा, बहु-क्षेत्रीय उपायों के परिणामस्वरूप, पानी की गुणवत्ता के मानदंडों के औसत डेटा की तुलना के अनुसार अर्थात वर्ष 2014 और 2022 (जनवरी से सितंबर) के डीओ और बायोकेमिकल ऑक्सी जन डिमांड (बीओडी), फेकल कॉलीफॉर्म (एफसी); डीओ (मेडियन) में 33 स्थानों पर सुधार हुआ है, बीओडी (मेडियन) में 40 स्थानों पर सुधार हुआ है और एफसी (मेडियन) में क्रमशः 28 स्थानों पर सुधार हुआ है। पानी की गुणवत्ता में सुधार के कारण जलीय प्रजातियों जैसे गांगेय डॉल्फ़िन (अब व्यापक पहुंच में देखा जाता है, जहां इसे पहले नहीं देखा गया था), ऊदबिलाव, कछुए, हिल्सा आदि के देखे जाने में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के तहत विभिन्न उपाय कर रहा है।

i. एनजीपी के तहत, 32,897.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 406 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से, 224 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एनजीपी के तहत शुरू की गई परियोजनाओं में 5,270 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) क्षमता के निर्माण और पुनर्वास के लिए 26,263 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ 176 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और 5,214 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाना शामिल हैं। इनमें से, 98 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1,858 एमएलडी एसटीपी क्षमता का निर्माण और पुनर्वास किया गया है और 4,204 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है।
ii. लगभग 4507 गंगा ग्रामों को ओडीएफ घोषित किया गया है।
iii. राज्य सरकारें पहचान किए गए प्रदूषित नदी खंडों की जल गुणवत्ता की बहाली के लिए राज्य नदी पुनर्जीवन समितियों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं को लागू कर रही हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तर पर और जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति द्वारा केंद्रीय स्तर पर नियमित रूप से कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है।
iv. स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और अपशिष्ट न्यूनीकरण पद्धतियों को अपनाने से पानी की खपत, अपशिष्ट उत्पादन और प्रदूषण भार में कमी के लिए चार्टर आधारित भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से उद्योगों को सुविधा प्रदान की जाती है। उद्योगों और प्रदूषण स्रोतों की कड़ी निगरानी और नियमन किया जा रहा है। प्रतिष्ठित संस्थानों की टीम के माध्यम से सभी जीपीआई के वार्षिक निरीक्षण के साथ गंगा नदी के साथ-साथ अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) की सूची बनाई जाती है।
v. 3 साल की अवधि के लिए 11 स्थानों पर ट्रैश स्किमर लगाकर नमामि गंगे योजना के तहत नदी के सतह की सफाई गतिविधियों को भी शुरू किया गया। इसके अलावा, गंगा में गिरने वाले नालों के मुहाने (या उनके निकास से 1 किमी) पर तार की जाली/कचरा रैक प्रदान किया गया है ताकि ठोस कचरे को सीधे नदी में गिरने से रोका जा सके।

vi. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II के लिए दिशानिर्देशों में गंगा ग्राम के साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव और निष्पादन सुनिश्चित किया गया है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) उपायों के कार्यान्वयन के लिए गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों को प्राथमिकता दी जाए।

vii. जाजमऊ क्षेत्र में टेनरी क्लस्टर से प्रदूषण के कारण गंगा नदी को दीर्घकालीन चुनौती से निपटने के लिए गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए जाजमऊ टेनरी क्लस्टर कानपुर के लिए 20 एमएलडी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (सीईटीपी) का निर्माण प्रगति पर है, जो देश में अपने प्रकार का सबसे बड़ा है। इसी तरह, उन्नाव और बांथर के टेनरी क्लस्टरों में अन्य सीईटीपी के उन्नयन को मंजूरी दी गई है और साथ ही मथुरा में 6.25 एमएलडी टेक्सटाईल क्लस्टर के लिए कमीशनिंग अंतिम चरण में है।

*****